



राज्य निर्वाचन आयोग  
आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-410/रा0नि0आ0-3/1419/2013 दिनांक 23.04.2013 के सन्दर्भ में, जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के संबंध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल को प्रेषित किया गया था, के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल ने पत्र संख्या-296/पंचास्थानि/नागर निकाय-निर्वा-2013 दिनांक 26.04.2013 द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया है।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, नैनीताल से प्राप्त पत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल से प्राप्त आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, नैनीताल के न्यायालय द्वारा धारा 17 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुये आरोपी श्री दिगम्बर बर्मा, पुत्र श्री वी0एल0 बर्मा का शस्त्र लाईसेन्स निरस्त कर दिया है।

उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी गई आख्या से सन्तुष्ट होते हुये प्रकरण को निक्षेपित किया जाता है।

(हरिश्चन्द्र जोशी)  
राज्य निर्वाचन आयुक्त। 28/04/13

संख्या- /रा0नि0आ0-3/1419/2013 तददिनांक।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निकाय), नैनीताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(एच0वी0थपलियाल)  
सचिव।